

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/3292
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25-7-23

वन मंडल अधिकारी,
सामान्य वन मंडल, रीवा, म.प्र.

विषय:- वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-334 के रकबा 4.59 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का- आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-एमपीआर 012/2023-बीएचओ/ दिनांक 20/07/2023

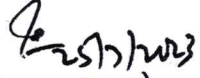
---0---

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 010/2023-बीएचओ दिनांक 20/07/2023 से विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है जिसमें से बिन्दु क्रमांक-1, 3, एवं 4 की जानकारी आपके द्वारा प्रस्तुत की जाना है।

भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु क्रमांक-1 के अनुक्रम में लेख है कि आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी जाने वाली रकबा 4.59 हे. गैरवनभूमि में पूर्व से वृक्ष विद्यमान होने के कारण रकबा 4.60 हेक्टेयर बिगड़े वनक्षेत्र का चयन कर 4600 पौधे रोपित करने की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना KML File तथा तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार करें तथा ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड करें।

अतः भारत सरकार के संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु क्रमांक- बिन्दु क्रमांक-1, 3, एवं 5 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर जानकारी टेबूलर फार्म में तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित दो प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

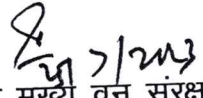
भोपाल, दिनांक 25-7-23

पृ. क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/3293
प्रतिलिपि:-

1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2 श्री ललित पंधाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुड्डा भिवानी, हरियाणा की ओर भारत सरकार के संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु क्रमांक-2 एवं 5 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर जानकारी हार्डप्रति में आवश्यक अभिलेखों सहित दो प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कसयें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

0/1



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 012/2023-बीएचओ

दिनांक : 20 /07/2023

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: रीवा जिले के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र मऊगंज के वनक्ष क्रमांक पीएफ-334 की 4.59 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि सेड पत्थर (अर्थात केशर के उपयोग हेतु) आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोनस, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-1/835/2022/10-11/2659 दिनांक 30/06/2023.
2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/256 दिनांक 15/07/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 07/07/2023 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 15/07/2023 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्न नलिखित है:-

1. The proposed NFL CA area has already 0.5 to 0.6 density vegetation. So, the State Forest Department shall re-visit the proposed CA area and identify that how many plants can be planted in non-forest land. In case, it is not possible to plant 1000 saplings per ha then an additional CA on Degraded Forest Land for plantation of the balance plants shall be submitted along with CA Scheme, KML file & maps.
2. A signed copy of Mining Plan shall be submitted.
3. The State Forest Department shall clarify the Forest Range (Hanumana or Mauganj) of proposed diversion area.
4. The State Forest Department shall submit status of approach road for mining area (with map).
5. The State Forest Department/ User Agency shall submit status of safety zone and same shall be marked on the KML file.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 20-07-2023 16:17:58

Reason: Approved